न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 18/2025(GCMS : 2025/22)**

ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय 4–ई–8 जवाहर नगर, प्रथम तल, मीरा चौक रोड़, नजदीक गौड हास्पीटल, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता सतनाम सिंह पोर्ट फोलियो कलैक्शन मैनेजर ए.यू. स्मॉल फाईनेंस

<u>बनाम</u>

1. **रोनित बजाज** पुत्र श्री विनोद कुमार बजाज निवासी प्रभात नगर, राईयांवाली, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. **विनोद कुमार** पुत्र श्री मुंशीराम निवासी प्रभात नगर, राईयांवाली, एस.टी.पी.एस. कॉलोनी, जिला श्रीगंगानगर

30.06.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी के अधिवक्ता श्री राजीव मेंहदीरता उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कथन किया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा करवा दी है इसलिए वे इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है, इसलिए नॉट प्रैस किये जाने का प्रार्थना की। प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. ने अप्रार्थीगण रोनित बजाज एवं विनोद कुमार द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी विनोद कुमार की **अचल सम्पत्ति रोही प्रभात नगर, खसरा नं. 111 में से साईज 240 सक्वायर फीट, उत्तर मुखी, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का** भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2025 को प्रस्तुत कर रखा है और प्रार्थी बैंक ऋणी के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:01:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजि[स्ट्रेट]
श्रीगंगानगर

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 18.03.2025 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण रोनित बजाज एवं विनोद कुमार के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में विनोद कुमार की **अचल सम्पत्ति रोही प्रभात नगर, खसरा नं. 111 में से साईज 240 सक्वायर फीट, उत्तर मुखी, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर** का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत है, जो शामिल पत्रावली है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।
पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:01:36 IST
Reason: SelfAttested